भाग–IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जॉच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	रीवा वृत्त अंतर्गत वन मंडल, सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न के वनखण्ड दुधीचुआ की रकबा 443.000 हेक्टेयर वन भूमि एवं ग्राम मंढौली के विभिन्न खसरों की 24.809 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल 467.809 हेक्टेयर वन/राजस्व वन भूमि में उपरितल कोयला खनन कार्य के लियेः– • प्रस्तावित वन भूमि 443.00 हेक्टेयर में से 186.254 हेक्टेयर रकबा कक्ष क्रमांक पी–262 इस वनमंडल के प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार हाथी कॉरीडोर में सम्मिलित है। वनमंडल की कार्य आयोजना में हाथी कॉरीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है। (i) 2.47(9) कॉरीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कॉरीडोर की निरंतरता में व्यवधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थाई भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेबर कैम्प की स्थापना तथा स्थाई निर्माण कार्य नहीं किये जायेंगे। (ii) 2.47(10) कॉरीडोर में स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तांतरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यंभावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कॉरीडोर की स्थापना की जाये। • कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान का पालन सुनिश्चित कराने की शर्त पर स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

तिथिः 06.05.2017

स्थानः भोपाल

06/05/17

(SUNIL AGRAWAL)
I.F.S.
Addl. Principal Chief Conservator of forest
(Land Management)
Madhya Pradesh, Bhopal